डाक पंजीयन क्रं. मालवा डिविजन/404/2025-27 RNIMPHI/2022/86763

हिन्दी दैनिक

# संघर्ष से सिद्धि

खबरों के साथ, हर नजरिये की बात

Sangharshsesiddhi@gmail.com | उज्जैन रविवार 29 मार्च 2026 | वर्ष-04 अंक-232 | पृष्ठ-08, मूल्य-01 रुपये

''स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाओ''

## पीएम मोदी ने किया जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन, 5 इंटरनेशनल हवाईअड्डों वाला पहला राज्य बना यूपी

**नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के जेवर में 11,282 करोड़ रुपये की लागत से बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किए। यह प्रोजेक्ट चार चरणों में पूरा होगा जिसकी कुल अनुमानित लागत 29,560 करोड़ रुपये है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ राज्यपाल, कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर पूरे गौतमबुद्ध नगर में सुरक्षा के व्यापक और बहुस्तरीय इंतजाम किए गए हैं। इसमें सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों से लेकर हजारों पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। जेवर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया, जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे, जिससे जेवर उत्तर भारत के लिए एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा।**

पीएम मोदी ने कहा, पश्चिम यूपी की जनता को इस एयरपोर्ट के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आज का यह कार्यक्रम, भारत के नए मिजाज का प्रतीक है। आप सभी देख रहे हैं कि आज पूरा विश्व कितना चिंतित है। पश्चिम एशिया में एक महीने से युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से कई सारे देशों में खाने-पीने के सामान पेट्रोल-डीजल, गैस आदि ऐसे कई चीजों का चारों तरफ संकट पैदा हो गया है।

पीएम मोदी ने कहा, कई देशों में खाने पीने की चीजों का संकट पैदा हो गया है। भारत देश वासियो की ताकत के सहारे सामना कर रहा है। सामान्य परिवारों और किसानो पर बोझ नहीं पड़े, सरकार वो काम कर रही है। संकट में विकास नहीं रुका है, यूपी में ही पिछले कुछ सप्ताह में बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले।

पीएम मोदी ने कहा, देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाले राज्यों में से एक बन गया है। आज मेरे लिए गर्व और प्रसन्नता के दो कारण हैं।

पहला-इस एयरपोर्ट का शिलान्यास करने का सौभाग्य भी मुझे मिला था और इसका उद्घाटन करने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। दूसरा-जिस उत्तर प्रदेश ने मुझे प्रतिनिधि बनाया, सांसद बनाया, उस उत्तर प्रदेश की पहचान के साथ इस भव्य एयरपोर्ट का नाम भी जुड़ गया है।

## क्या मतदान केंद्रों पर फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक सिस्टम लगेगा? सुप्रीम कोर्ट से की गई मांग

**नई दिल्ली।** सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि आगामी विधानसभा चुनावों में मतदान केंद्रों पर फिंगर और आईरिस बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली लागू की जाए। याचिका सामाजिक कार्यकर्ता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि मौजूदा व्यवस्था में डुप्लिकेट वोटिंग, व्यक्ति छलावा (इंपर्सनेशन) और फर्जी मतदाताओं (घोस्ट वोटिंग) जैसी अनियमितताएं लगातार हो रही हैं। याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है ताकि निर्वाचन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जा सके। याचिका में मुख्य मांग यह है कि चुनाव आयोग मतदान केंद्रों पर फिंगरप्रिंट और आईरिस आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू करे। इससे केवल असली मतदाता ही वोट डाल सकेंगे और 'एक नागरिक, एक वोट' के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जा सकेगा। फिलहाल मतदाता पहचान पत्र और मैनुअल वेरिफिकेशन पर निर्भरता होने के कारण पुरानी फोटो, क्लर्किकल खामियां और रीयल-टाइम वैलिडेशन की कमी से दुरुपयोग होता है। बायोमेट्रिक सिस्टम में दोहराव नहीं होने से इन समस्याओं को रोका जा सकता है।

**चुनावी प्रक्रिया में कैसे आएगा सुधार**

याचिका में संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की शक्तियों का हवाला देते हुए कहा गया कि वह नियमों में संशोधन कर इस तकनीक को अपनाने में सक्षम है। इससे प्रवासी मतदाताओं, डुप्लिकेट नामों और फर्जी मतदाताओं की समस्या भी हल हो सकेगी। साथ ही रीयल-टाइम ऑडिट ट्रेल तैयार होगा, जो चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही

बढ़ाएगा। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह व्यवस्था आधार जैसी मौजूदा पहचान प्रणालियों और अन्य सरकारी क्षेत्रों में इस्तेमाल हो रही आधुनिक तकनीक के तहत होगी। 28 मार्च को चुनाव आयोग को भी इसी मांग को लेकर प्रतिनिधि भेजा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की जरूरत बताई गई है। याचिका में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अन्य उचित निर्देश भी मांगे गए हैं।

दवे ने कोर्ट को बताया कि आखिरी बार इन समुदायों की गणना 1913 में हुई थी। इदाते आयोग (2017) और रेनके आयोग (2008) जैसी कई समितियों ने भी इनकी अलग से गिनती की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को जमकर लताड़ा। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि देश में हमें एक जाति मुक्त समाज बनाना था, लेकिन हम लगातार बंटते जा रहे हैं। इसके साथ ही देश की सर्वोच्च अदालत ने 2027 की जनगणना में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों की अलग से गणना करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह एक नीतिगत निर्णय है और यह न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखने की छूट दी है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, भारत एक बहुत ही अनूठा देश है। एक जातिविहीन समाज विकसित करने के बजाय, हम अधिक से अधिक वर्गीकरण बनाना चाहते हैं।

## चुनाव आयोग ने समीक्षा के बाद पूर्व सांसद का ही नाम हटाया, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर दर्ज करायी आपत्ति

**कोलकाता।** चुनाव आयोग ने शुक्रवार देर रात संशोधित मतदाता सूची के दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल के एक पूर्व सांसद तरुण मंडल का ही नाम मतदाता सूची से हटा दिया है। दिलचस्प यह है कि जहां श्री मंडल का नाम चुनाव आयोग ने हटा दिया है, वहीं उनकी पत्नी महुआ मंडल को अद्यतन सूची में वैध मतदाता के रूप में बरकरार रखा है, जबकि उनका नाम भी विचाराधीन था। श्री मंडल 2009 में कांग्रेस-तृणमूल गठबंधन के समर्थन से दक्षिण 24 परगना के जयनगर से निर्वाचित हुए थे। वह एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने देखा कि उनका नाम विचाराधीन श्रेणी से हटाकर बाहर की गयी सूची में डाल दिया गया है। दक्षिण हावड़ा विधानसभा क्षेत्र के निवासी श्री मंडल नाम हटाये जाने से पहले बूथ संख्या 279 के अंतर्गत सूचीबद्ध थे। श्री मंडल ने शनिवार को राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल से मुलाकात की और कई सहायक दस्तावेजों के साथ ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा, मैं सांसद और शिक्षक रहा हूं। मेरे पास सरकारी सेवा, पेंशन और सांसद के रूप में मेरे कार्यकाल के रिकॉर्ड जैसे व्यापक दस्तावेज हैं। अगर मेरा नाम हटाया जाता है, तो मैं आम जनता की स्थिति समझ सकता हूं।

## जितना रोना है, रो-धो लो, ममता सरकार के खिलाफ अमित शाह ने जारी की चार्जशीट

**बंगाल। अमित शाह ने बंगाल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ममता जी से कहना चाहता हूं, जितना रोना है, रो-धो लोज हम चुन-चुनकर एक-एक घुसपैठिए को न सिर्फ मतदाता सूची से निकालेंगे, बल्कि देश से बाहर भी करेंगे। बंगाल में चुनाव की घोषणा हो चुकी है।**

हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी भाजपा कार्यकर्ता भाजपा सरकार बनाने के संकल्प के साथ बंगाल में उतरे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी बंगाल का यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। पूरे पूर्वी क्षेत्र की सुरक्षा बंगाल से जुड़ी हुई है। असम में भाजपा सरकार बनने के बाद घुसपैठ लगभग खत्म हो गई है। अब घुसपैठियों के पूरे देश

में प्रवेश करने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वह है बंगाल।

बंगाल में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। भाजपा के सभी कार्यकर्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बंगाल में भाजपा की सरकार बनाने के लिए बड़े आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। हमारे विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जी ने भी चुनाव से पहले ही पूरे बंगाल का दौरा कर, बंगाल में फैली अव्यवस्था, अराजकता, आर्थिक बदहाली और विशेषकर घुसपैठ के मुद्दे को जन-जन तक पहुंचाने का काम किया। आगामी चुनावों में बंगाल को डर और भरोसे में से किसी एक को चुनना होगा। पिछले 15 वर्षों से डर और भ्रष्टाचार की राजनीति चल रही है। ममता बनर्जी ने झूठ और हिंसा का इस्तेमाल करके राजनीति का एक नया तरीका विकसित किया है। टीएमसी के सत्ता में आने का आधार झूठ, डर और हिंसा है। लेकिन 2011 से भाजपा इसके खिलाफ लड़ रही है, और मुझे विश्वास है कि इस बार भाजपा बंगाल में सरकार बनाएगी।

# ऑपरेशन F.A.C.E. में इंदौर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई-फर्जी दस्तावेजों और एक चेहरे से 84 सिम एक्टिवेट करने वाला बैतूल का आरोपी गिरफ्तार

राजेश पिल्लै

**इंदौर। राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशन में ऑपरेशन F.A.C.E. के तहत एक ही व्यक्ति के चेहरे का उपयोग कर फर्जी सिम एक्टिवेट करने वाले व्यक्ति एवं POS एजेंटों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।**

उक्त निर्देशों के अनुक्रम में क्राईम ब्रांच टीम के द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई। जिसमें इंदौर पुलिस आयुक्त नगरीय संतोष कुमार सिंह द्वारा पुलिस उपायुक्त अपराध के निर्देशन में टीम गठित की गई। जिसमें अग्रिम कार्यवाही करते उपरोक्त ऑपरेशन के तहत कुल 03 FACE आइडेंटिफाई किए गए जो कि इंदौर शहर से संबंधित थे।

उक्त कार्यवाही में क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस द्वारा FACE 01 के आरोपी को गिरफ्तार किया गया जिसके द्वारा लगभग 84 फर्जी सिम कार्ड एक्टिवेट किए गए। जिसमें अग्रिम कार्यवाही करते टेलीकॉम कंपनियों से CAF एवं संबंधित जानकारी प्राप्त करने पर पाया गया कि लगभग सभी सिम कार्ड एक्टिवेशन में एक ही व्यक्ति के फोटो का उपयोग किया गया है। जिसे ट्रेस कर बैतूल जिले से गिरफ्तार किया गया।

बाद आरोपी ने पूछताछ में कबूला कि उसके द्वारा उक्त कृत्य अधिक बोनस कमाने के लालच में किया गया था। आरोपी विपिन ने कबूला कि उसके द्वारा विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के सिम कार्ड टारगेट पूरा करने के लिए फर्जी तरीके से एक्टिवेट किए गए जिसमें उसने अज्ञात व्यक्तियों के आधार कार्ड एक्टिवेशन के लिए उपयोग किए।एवं POS एजेंटों के लिए उसने अपनी बहन व अपने मित्र के नाम का उपयोग उनकी बिना जानकारी के किया। आरोपी ने यह भी कबूला कि उसके द्वारा टारगेट पूरा होने पर सिम कार्ड डिएक्टिवेट कर दिए जाते थे।

**पुलिस कार्यवाही -**

थाना अपराध शाखा पर अपराध क्रमांक 40/26, धारा-दूरसंचार अधिनियम 2023 की धाराएं 42(3)(e), 42(6), भादवि 1860 की 420 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की 66सी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

विपिन मगरदे निवासी जिला बैतूल म. प्र.

# श्री राम जन्मोत्सव रामनवमी पर उत्साह, जय श्रीराम की गूंज, रामजी की निकली सवारी रामजी की लीला है प्यारी, श्रीराममय हुआ खेतिया

राजेश नाहर 9479973888

**खेतिया। आज पूरे देश सहित खेतिया शहर में भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव राम नवमी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। सकल हिन्दू समाज के संयुक्त तत्वावधान में राम नवमी के पावन अवसर पर खेतिया नगर में भव्य शोभायात्रा बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। नगर का वातावरण भक्तिमय हो गया था और हर ओर जय श्रीराम के जयकारे गूंज उठे।श्री हनुमान चालीसा के पाठ गूंजते रहे।**

शोभायात्रा का शुभारंभ अति प्राचीन स्थानीय राममंदिर से हुआ,जिसमे महिला अखाड़ा रावेर महाराष्ट्र से आये महिला दल की तलवारबाजी प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनी।जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन कर सबकी वाह वाही बटोरी, श्रीराम जी की पालकी भी साथ ही चल रही थी नगर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालु ढोल-ताशों और भजनो के साथ झूमते नजर आए।

यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर पुष्पवर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया गया।विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने छाँछ, तरबूज, केले के स्टाल भी लगाए

प्रशासन द्वारा सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम किए गए थे, जिससे पूरी यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न हुई।

राम नवमी के इस आयोजन ने पूरे नगर में उत्साह और धार्मिक आस्था का अद्भुत माहौल बना दिया। सारा शहर राममय हो गया।

राम नवमी का पर्व हमें भगवान राम के आदर्शोंसत्य, धर्म और मर्यादा का पालन करने की प्रेरणा देता है। भक्तों ने इस अवसर पर एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं और समाज में शांति एवं सद्भाव बनाए रखने का संकल्प लिया।

# जन सहयोग से जल संवर्धन के तहत ग्वालटोली तालाब पर स्वच्छता के लिए किया श्रमदान

**नीमच।** जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे जनसहयोग से जल संवर्धन अभियान के तहत शनिवार को जिला मुख्यालय नीमच पर स्थित ग्वालटोली तालाब पर न.पा. नीमच द्वारा स्वच्छता के लिए श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विधायक दिलीप सिंह परिहार, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, जिला पंचायत सी.ई.ओं. अमन वैष्णव,ए.डी.एम. बी.एस.कलेश, नपाध्यक्ष श्रीमतीस्वाति गौरव चौपड़ा,पार्षदगण जनप्रतिनिधिगण,विभिन्न सस्थाओं के प्रतिनिधियों ने तालाब परिसर की साफ-सफाई के लिए श्रमदान किया गया। जन सहयोग से स्वच्छता के लिए किए गए इस श्रमदान से ग्वालटोली तालाब का स्वरूप बदला बदला सा नजर आने लगा है।

इस अवसर पर नगरपालिका जलकल समिति सभापति श्रीमती छाया वीरेंद्र जायसवाल, एसडीएम संजीव साहू, डिप्टी कलेक्टर चंद्र सिंह धार्वे, पराग जैन, पार्षद हरगोविंद दीवान, पार्षद प्रतिनिधि मुकेश पोरवाल, पर्यावरण मित्र संकल्प संस्था के

जगदीश कारपेंटर, नगर समस्या सुझाव ग्रुप के विवेक खण्डेलवाल, नगरपालिका की सीएमओ श्रीमती दुर्गा बामनिया सहित नगरपालिका के कर्मचारी, नागरिकों जनप्रतिनिधियों, इंदिरा नगर एवं ग्वालटोली के रहवासियों आदि ने ग्वालटोली तालाब परिसर की साफ सफाई के लिए उत्साह पूर्वक श्रमदान किया और कचरा एकत्रित कर ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया। इस मौके पर नगरपालिका नीमच द्वारा ग्वालटोली तालाब के सौंदर्यीकरण एवं गहरीकरण का कार्य का कलेक्टर ने अवलोकन किया और सीएमओं श्रीमती दुर्गा बामनिया को आवश्यक निर्देश दिए।

# धर्मध्वजा के साथ निकला श्रद्धा का कारवां-पेटलावद में श्री राम जन्मोत्सव की अभूतपूर्व धूम

दिपेश पड़ियार

**पेटलावद।** मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्राकट्य उत्सव रामनवमी के पावन उपलक्ष्य में नगर में भक्ति, शक्ति और संस्कृति का अनुपम संगम देखने को मिला। सर्व हिंदू समाज के तत्वावधान में आयोजित भव्य शोभायात्रा ने संपूर्ण पेटलावद नगर को राममय कर दिया।

**महाआरती के साथ मंगल प्रारंभ**

उत्सव का शुभारंभ स्थानीय बड़ा रामजी मंदिर में भगवान की दिव्य महाआरती के साथ हुआ। मंदिर प्रांगण से जब प्रभु की सवारी निकली, तो भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। शोभायात्रा के अग्रभाग में केसरिया धर्मध्वजा थामे अश्वारूढ़ श्रद्धालु चल रहे थे, जो सनातन शौर्य का प्रतीक लग रहे थे।

**झांकियां और अखाड़ों का आकर्षण**

यात्रा में भगवान राम-लक्ष्मण की सजीव झांकी और प्रभु श्री राम की विशालकाय प्रतिमा भक्तों के आकर्षण का केंद्र रही। तीन अखाड़ों के युवाओं ने शस्त्र संचालन और कलाबाजी के माध्यम से अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। विशेष रूप से कन्नू भाई पहलवान के हैरतअंगेज करतबों ने जनमानस को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी इस कला से प्रभावित होकर दादू जी महाराज संस्थान एवं पूज्य कमला बुआ (किन्नर) द्वारा उन्हें श्रीफल और पुष्पमाला भेंट कर सम्मानित किया गया।

**सामाजिक समरसता का उदाहरण**

नगर भ्रमण के दौरान पग-पग पर पुष्प वर्षा और आरती के माध्यम से प्रभु का

स्वागत किया गया। इस दौरान दादू जी महाराज संस्थान, कमला बुआ, सिर्वी समाज, वाल्मीकि समाज, ब्राह्मण समाज, मेवाड़ा लुहार समाज, बलाई समाज, गुर्जर समाज, महावीर समिति, राजपूत समाज और नया गुजराती लुहार समाज सहित अनेक संगठनों ने पलक-पावड़े बिछाकर शोभायात्रा का आत्मीय अभिनंदन किया।

**मध्य रात्रि में महाआरती**

विभिन्न मार्गों से होती हुई यह धर्मयात्रा मध्य रात्रि 12 बजे राम मोहल्ला स्थित प्राचीन राम मंदिर पहुंची। यहाँ आचार्य पं. पीयूष जोशी के सानिध्य में सैकड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में विधि-विधान से पूजन-अर्चन और महाआरती संपन्न हुई। आयोजन समिति की सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली और नगरवासियों के सामूहिक सहयोग से यह आयोजन दिव्यता के साथ संपन्न हुआ।

# रामनवमी पर निकली भव्य शोभायात्रा का महावीर समिति ने किया स्वागत

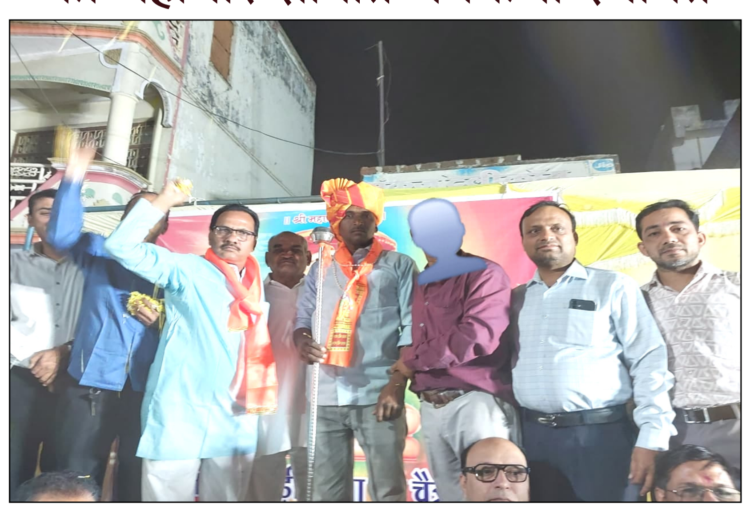

दिपेश पड़ियार

**पेटलावद। शहर में राम नवमी के पावन अवसर पर श्रीराम जन्मोत्सव समिति द्वारा भव्य एवं आकर्षक शोभायात्रा का आयोजन किया गया, शोभायात्रा में मनमोहक प्रस्तुतियों, भजन-कीर्तन एवं धार्मिक उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला।**

इस शुभ अवसर पर नगर के विभिन्न स्थानों पर हिंदू संगठनों, सामाजिक संस्थाओं, एवं नगरवासियों द्वारा शोभायात्रा का उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। नगरवासियों में उत्साह एवं भक्ति का वातावरण देखने को मिला।

इसी क्रम में सकल जैन समाज की प्रतिनिधि संस्था महावीर समिति, पेटलावद द्वारा सिटी केमिस्ट चौराहा पर शोभायात्रा क स्वागत किया गया। समिति द्वारा शोभायात्रा में उत्कृष्ट प्रस्तुति देने वाले कलाकारों एवं समूहों के प्रमुखों का माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर महावीर समिति के अध्यक्ष संजय भंडारी (गुड्डू) सहित समस्त पदाधिकारी एवं समाजजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और सभी ने मिलकर सामाजिक समरसता, धार्मिक एकता एवं भाईचारे का संदेश दिया।

# बुजुर्ग ऑटो चालक पर चाकू से हमला, रेलवे स्टेशन क्षेत्र में फैली दहशत

# एंबुलेंस सेवा की लापरवाही उजागर, देर से इलाज के चलते एक मरीज की मौत

**जमना प्रसाद चौबे**

**दमोह।** शहर में अपराध और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली एक बार फिर खुलकर सामने आई है। बीती रात रेलवे स्टेशन क्षेत्र में 65 वर्षीय बुजुर्ग ऑटो चालक पर चाकू से हमला कर दिया गया, वहीं दूसरी ओर एंबुलेंस सेवा की लापरवाही के चलते एक अन्य मरीज की जान चली गई। इन दोनों घटनाओं ने शहर की कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

**रेलवे स्टेशन के पास बुजुर्ग ऑटो चालक पर हमला**

जानकारी के अनुसार दयाल विश्वकर्मा नाम के ऑटो चालक देर रात करीब 1 बजे सवारियां लेकर रेलवे स्टेशन क्षेत्र से गुजर रहे थे। इसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने उनका ऑटो रुकवाया और गाली-गलौज करते हुए उन पर चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से ऑटो में बैठी सवारी जान बचाकर मौके से भाग गई। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें जबलपुर रेफर कर दिया गया।

**तीन घंटे तक नहीं मिली एंबुलेंस**

घटना के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई। गंभीर हालत में मरीज को रेफर किए जाने के बावजूद रातभर 108 एंबुलेंस उपलब्ध नहीं हो सकी। अस्पताल स्टाफ और परिजनों द्वारा लगातार प्रयास किए गए, लेकिन एंबुलेंस सुबह करीब 5.30 बजे ही मिल पाई। परिजनों के अनुसार, एंबुलेंस के लिए कई बार कॉल किए गए। वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र दुबे द्वारा भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। बाद में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को सूचना देने के करीब दो घंटे बाद एंबुलेंस उपलब्ध हो सकी। इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब वरिष्ठ स्तर पर हस्तक्षेप के बाद भी इतनी देरी हो रही है, तो आम नागरिकों को आपात स्थिति में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा।

**एंबुलेंस व्यवस्था पर उठे सवाल**

स्थानीय लोगों और अस्पताल स्टाफ का कहना है कि दिन के समय तो एंबुलेंस मिल जाती है, लेकिन रात में अक्सर यही स्थिति बनी रहती है। कई बार कॉल करने के बावजूद लंबी प्रक्रिया और बार-बार जानकारी मांगे जाने के कारण समय पर मदद नहीं मिल पाती। ग्रामीण और गरीब वर्ग के लोग मजबूरी में निजी एंबुलेंस का सहारा लेते हैं, जिससे आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। वहीं स्थानीय स्तर पर स्टाफ यह कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि 108 सेवा का संचालन भोपाल से होता है।

**दो घंटे की देरी, मरीज की मौत**

इसी बीच तेजगढ़ थाना क्षेत्र से एक और चिंताजनक मामला सामने आया। गुड्डु रैकवार नामक व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज होने पर परिजनों ने कई बार 108 एंबुलेंस को कॉल किया, लेकिन दो घंटे तक कोई सहायता नहीं मिली। अंततः परिजन निजी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि यदि समय पर एंबुलेंस मिल जाती, तो उनकी जान बच सकती थी।

**प्रशासन के लिए चुनौती बनी स्थिति**

एक तरफ शहर के व्यस्त रेलवे स्टेशन क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं दूसरी ओर एंबुलेंस सेवा की बदहाल स्थिति ने स्वास्थ्य तंत्र की पोल खोल दी है।

**अधिकारी का बयान.....**

सिविल सर्जन डॉ. प्रहलाद पटेल ने बताया कि 108 एंबुलेंस सेवा का संचालन भोपाल से होता है। कई बार वाहन अन्य स्थानों पर होने के कारण देरी हो जाती है। कुल मिलाकर, दमोह में बढ़ती आपराधिक घटनाएं और स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं। यदि समय रहते सुधार नहीं किए गए, तो आम जनता का भरोसा व्यवस्था से उठ सकता है।

# विपत्ति में साथ दे वह सच्चा मित्र-पंडित ब्रज किशोर नागर

**देवेन्द्र वाणी**

**नानपुर।** माँ कालिका मंदिर मे श्रीमद भागवत कथा के समापन अवसर पर भगवताचार्य पंडित ब्रजकिशोर नागर ने कृष्ण सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए कहा की कृष्ण सुदामा की मित्रता निस्वार्थ भाव व भक्ति का सबसे सुन्दर उदाहरण है। सुदामा ने विचार किया की जब तक आपके पास धन था, तब तक सब रिश्तेदार बनते थे।जब गरीब हो गए तो कोई मेरे पास नहीं आ रहा है। विपत्ति मे साथ दे वे सच्चे मित्र होते है। मांगने पर दे वे मित्रता नहीं हो सकता है। सुदामा अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से द्वारका मिलने के लिए चल पड़े। बगल मे चावल की पोटली, हाथ मे लकड़ी, नंगे पैर थे। सुदामा के पास चरण पादुका तक नहीं थीं। सिर पर पगड़ी बँधी, एक धोती लपेटी, गले मे एक दुपटा और फटेहाल चल दिए। अपनी पत्नी के कहने पर वे द्वारका के लिए निकल तो गए, मगर मन ही मन विचार कर रहे थे की द्वारकाधीश यह कैसी तुम्हारी लीला है।

सुदामा जब सफर तय कर द्वारका नगरी पहुंचे तो उस अनजान शहर मे कन्हैया का पता पूछा गया की कृष्ण कहा रहते तो लोगो ने बताया की सामने महल है व द्वारकाधीश का है वे आगे बढ़े और कन्हैया के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालो से बोला की कन्हैया को सन्देश पंहुचा दो की तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने आया है। आपके राजा द्वारकाधिश का मे बचपन का मित्र हूँ। द्वारपालो के मना करने पर सुदामा ने कई बार मिन्नते की मगर द्वारापाल टालते व धिक्कारते रहे। इस पर पंडित नागर ने सुन्दर भजन अरे द्वारपालो.... कन्हैया से कह दो, मुझसे कुछ नहीं माँगा।भाभी कैसी है।फटे वस्त्र मे बंधे चावल की पोटली से चावल लिए व एक मुट्ठी मुँह मे फाक लिए तो सुदामा का महल बन गया। पंडित नागर ने कहा की अपने वतन की निंदा नहीं करनी चाहिए या ऐसे स्थान से हट जाना चाहिए।साथ ही अपने धर्म की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। अहंकार को जीवन मे कोई स्थान दे।जीवन सदा विनम्रता पूर्वक यापन करना चाहिए। सुन्दर भजन पर पांडाल मे श्रोता कथा मे लीन होकर झूम उठे।कथा के अंत में गुरूजी ने कहा की नानपुर नगरी मानो ननिहाल लगने लगी है।जो सात दिनों मे आयोजक समिति सहित हम जहाँ ठहरे मनोहर भाई के परिवार ने खूब सेवा की, आयोजक समिति सहित यजमान को धन्यवाद देते हुए कहा की जीवन मे सयोग व वियोग है। आज कथा समापन पर यह वियोग बड़ा कष्टदाई है।आज कथा के भजन पर श्रोता झूम उठे। दूसरे द्वारपाल से कहा भैय्या श्री कृष्ण मेरे बाल सखा है, परम मित्र है। थोड़ी देर बाद द्वारपाल ने जब भगवान को सन्देश दिया की द्वार पर एक सुदामा नाम का व्यक्ति आया है, आपका मित्र कह रहा है।इतना सुनते ही भगवान नंगे पैर दौड़कर चले आये और सुदामा को गले लगाया।

भगवान कृष्ण ने कहा की सुदामा तू धन्य है, तेरी ऐसी स्थिति होने के बाद भी तूने के समापन अवसर पर यजमान परिवार द्वारा व्यास पीठ से क्षमा याचना कर पोथी का पूजन कर ढ़ोल बाजे के साथ अपने घर ले गए। जहाँ समिति सदस्यों सहित यजमान परिवार द्वारा गरबा रास किया गया। कथा के आरंभ में स्थानीय दाऊदी बोहरा समाज ने गुरुवर का व्यास पीठ पर शाल श्रीफल से अभिनन्दन किया गया। सभी समाज प्रमुखो सहित पत्रकारों ने भी गुरुवर का स्वागत सम्मान किया गया।

# डॉ. चेतना दीक्षित को बैंकॉक में वक्ता व सम्मान हेतु आमंत्रण

**राजेश पिल्लै**

**इंदौर।** ओरल एवं डेंटल सर्जन डॉ. चेतना दीक्षित ने एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए शहर और देश का मान बढ़ाया है। उन्हें अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित होने वाले वैश्विक समारोह में विशिष्ट वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही उन्हें इंटरनेशनल वुमेन डे अवॉर्ड 2026 के लिए भी चयनित किया गया है।

यूनाइटेड पीस कीपर्स फेडरल काउंसिल के तत्वावधान में 29 मार्च 2026 को बैंकॉक (थाईलैंड) स्थित शिक्षा मंत्रालय के टीचर्स काउंसिल हॉल में आयोजित होने वाले इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, नीति-निर्माता, शिक्षाविद और महिला नेतृत्व से जुड़ी प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी।

इस अवसर पर महिला नेतृत्व, वैश्विक शांति, समानता और सशक्तिकरण जैसे विषयों पर केंद्रित संवाद आयोजित किए जाएंगे। डॉ. चेतना दीक्षित इस मंच से अपने अनुभव और विचार साझा करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ संवाद स्थापित करेंगी। डॉ. दीक्षित की यह उपलब्धि उनके निरंतर समर्पण, पेशेवर उत्कृष्टता और सामाजिक सरोकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह उपलब्धि इंदौर सहित पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत बनी है।

शहर के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य नागरिकों ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए डॉ. चेतना दीक्षित को शुभकामनाएं दी हैं।

## आज्ञा शर्मा ने किया मम्मी एवं मामा का नाम रोशन

**कांटाफोड़ (जितु सिंगी)।** गत दिवस माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा कक्षा 8 वीं के परिक्षा परिणाम में नगर के दी सुजान पब्लिक स्कूल की छात्रा ने अंग्रेजी माध्यम से 91 प्रति. अंक अर्जित किए उनकी इस उपलब्धि पर प्राचार्य दलजीत सिंह भाटिया सहित शिक्षक शिक्षिकाओं ने शुभकामनाएं बधाई प्रेषित की।

## सम्पादकीय

# आइआरसीटीसी पर दस लाख रुपए का जुर्माना

वंदे भारत जैसी जिन ट्रेनों को उच्च और प्रीमियम दर्जे की सुविधाओं से लैस बताया जाता है, उनमें भी खराब खाने की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं। गौरतलब है कि पटना-टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस में एक यात्री ने खाने में परोसे गए दही में कीड़ा होने की शिकायत की। आसपास मौजूद अन्य यात्रियों के साथ-साथ इसका वीडियो फैलने के बाद आम लोगों के बीच इस बात पर नाराजगी बढ़ी। इसके बाद रेल मंत्रालय ने लापरवाही बरतने पर आइआरसीटीसी पर दस लाख रुपए का जुर्माना लगाया, वहीं उस ट्रेन में खानपान सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी पर पचास लाख रुपए का जुर्माना लगाने के साथ-साथ अनुबंध खत्म करने का भी आदेश दिया। पिछले कुछ समय से सफर के दौरान ट्रेनों में यात्रियों को खराब खाना परोसे जाने की शिकायतें सुर्खियों में रही हैं। ऐसे मामले सामने आने के बाद भारतीय रेल की ओर से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और भविष्य में बेहतर सेवा देने के आश्वासन दिए जाते हैं। मगर ऐसा लगता है कि संबंधित महकमों को ट्रेनों में खराब खाना देने की शिकायतों को गंभीरता से लेने और उसमें सुधार करने की कोई फिक्र नहीं है। वरना क्या वजह है कि जब कोई मामला तूल पकड़ लेता है, तब रेलवे के अधिकारी या मंत्रालय थोड़ा सक्रिय दिखते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही दशा आम हो जाती है।

इस तरह का यह कोई अकेला मामला नहीं है। पिछले वर्ष जुलाई में खुद रेल मंत्रालय ने संसद को बताया था कि 2024-25 के दौरान ट्रेनों में खराब खाने को लेकर 6,645 शिकायतें दर्ज की गई थीं। ऐसे मामले भी होते होंगे, जिनमें किसी यात्री को मिला खाना खराब होता होगा, लेकिन वे औपचारिक तौर पर शिकायत दर्ज नहीं कराते होंगे।

सवाल है कि खानपान की गुणवत्ता को हर तरह से स्वच्छ और बेहतर बनाने का रेल महकमे का ढांचा आखिर कैसे काम करता है कि आए दिन यात्रियों को खराब खाना परोसे जाने के मामले सामने आते हैं। क्या यह यात्रियों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं है? रेल मंत्रालय की ओर से कई बार सख्त कार्रवाई की जाती है, लेकिन बार-बार ऐसी शिकायतों के बावजूद इस समस्या पर लगाम लगाना मुश्किल क्यों बना हुआ है।

## महू के सिमरोल में दर्दनाक हादसा

# स्विफ्ट कार में आग लगने से 4 साल के मासूम चिराग की जिंदा जलकर मौत, शॉर्ट सर्किट की आशंका

**राजेश पिल्लै**

**इंदौर। महू के सिमरोल थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर करीब 12 बजे अचानक स्विफ्ट कार में आग लग गई। इससे कार में बैठा बच्चा जिंदा जल गया और उसकी मौत हो गई। 4 साल का चिराग अपने पिता संजय बढ़िया के साथ घूमने निकला था। संजय पेशे से मैकेनिक हैं।**

इंदौर-खंडवा रोड सेल सिटी के सामने वह डीजे वाली गाड़ी का काम कर रहे थे। इसी दौरान जिस गाड़ी में चिराग बैठा था, उसमें अचानक आग लग गई।

आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी कार उसकी चपेट में आ गई।

आसपास मौजूद लोग जब तक समझ पाते और आग बुझाने की कोशिश में जुटते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना की सूचना फौरन फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी गई।

सिमरोल थाना प्रभारी कुलदीप खत्री का कहना है पुलिस और दमकल टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही चिराग की मौत हो चुकी थी। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।

घटना के बाद बच्चे के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए महू सिविल अस्पताल लाया गया है। इधर, हादसे के बाद से पिता का रो-रो कर बुरा हाल है। फिलहाल वह बात करने की हालत में नहीं हैं।

**आग बुझाने लोग पानी और मिट्टी फेंक रहे थे**

मौके पर मौजूद संजू वर्मा ने बताया कि पहले कार से धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते आग विकराल हो गई। आग की लपटें उठ रही थीं। कोई पास नहीं जा पा रहा था।

लोग आग बुझाने के लिए पानी और मिट्टी फेंक रहे थे। बड़ी मुश्किल से आग बुझी तो देखा बच्चा कार के अंदर जल चुका था।

सिमरोल पुलिस ने कार के कांच तोड़ कर बच्चे को बाहर निकाला।

# डही नगर में रामनवमी धूमधाम से मनाई गई, भव्य शोभायात्रा ने बांधा समां

**रामेश्वर सोनी**

**डही।** नगर में श्री राम मित्र मंडल के तत्वाधान में रामनवमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हनुमान मंदिर से एक भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभायात्रा के चलते पूरा नगर 'राममय' हो गया और चारों ओर भक्ति का माहौल नजर आया।

शोभायात्रा के दौरान नगर में 'जय श्री राम' के जयघोष गूंजते रहे। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए जगह-जगह मंच सजाए गए थे, जहां ठंडाई, शरबत और पेयजल की व्यवस्था की गई थी। लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और आयोजन को सफल बनाया। इस विशेष अवसर पर भाजपा प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल भी शोभायात्रा में शामिल हुए। उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ भगवान श्री राम के जयकारे लगाए और सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं दीं।

आयोजन के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात की समुचित व्यवस्था की गई थी, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। शोभायात्रा में सांस्कृतिक उत्साह भी देखने को मिला। डीजे और ढोल की थाप पर युवा और युवतियां जमकर थिरके, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय और उत्साहपूर्ण बन गया।

## गुरु कृपा और सेवा का संगम

# मोहनखेड़ा के श्री जयंत नवपद उत्सव में राणापुर नवयुवक परिषद का सराहनीय योगदान

**पंकज गोस्वामी**

**मोहनखेड़ा।** मोहनखेड़ा की पावन धरा पर, हृदय सम्राट, धर्मदिवाकर, वर्तमान गच्छाधिपति श्रीमद्विजय नित्यसेनसूरीश्वरजी म.सा. आदि ठाणा की पावन निश्रा और मंगल आशीर्वाद से श्री जयंत नवपद उत्सव का भव्य आयोजन श्री जयन्तसेन म्यूजियम (श्री राज राजेन्द्र जैन श्वे. तीर्थ दर्शन प. चे. ट्रस्ट), मोहनखेड़ा में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो रहा है।

**आयंबिल शाला की संभाली कमान**

उत्सव के तृतीय दिवस (आचार्य पद आराधना) के अवसर पर राणापुर नवयुवक परिषद के सदस्यों ने अपनी अनन्य सेवाएँ प्रदान कीं। परिषद के युवाओं ने आयोजन स्थल पर स्थित आयंबिल शाला की व्यवस्थाओं का उत्तरदायित्व पूरी निष्ठा के साथ संभाला। भक्तों की सुविधा, अनुशासन और सुचारू भोजन वितरण में परिषद का प्रबंधन अत्यंत सराहनीय रहा।

**लाभार्थी परिवार द्वारा बहुमान**

युवाओं के इस निस्वार्थ सेवा भाव और समर्पण को देखते हुए, मुख्य आयोजक व निवेदक श्रीमती हंजाबाई वरदीचन्दजी तातेड़ परिवार, धार एवं परिषद् के प्रांतीय अध्यक्ष श्री मोहित जी तातेड द्वारा राणापुर नवयुवक परिषद का तिलक लगाकर और शाल श्री फल भेंट कर विशेष बहुमान किया गया। लाभार्थी परिवार ने परिषद के युवाओं

की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सेवाभावी युवा ही समाज और शासन की असली शक्ति हैं।

**धार्मिक अनुशासन का परिचय**

गुरु भगवंत की पावन उपस्थिति में आयोजित इस उत्सव में युवाओं का यह जुड़ाव न केवल प्रबंधन को मजबूती प्रदान कर रहा है, बल्कि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का केंद्र भी बना हुआ है। आचार्य पद की आराधना के दिन युवाओं द्वारा दिखाई गई यह कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन आज के दिन के महत्व को और भी सार्थक बना गया।

## कुंवरपुर खैजरा में हुआ वृहद विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

**जमना प्रसाद चौबे**

**दमोह।** राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह द्वारा शनिवार को ग्राम कुंवरपुर खैजरा में प्रधान जिला न्यायाधीश सुभाष सोलंकी की अध्यक्षता में व्यापक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रातः 10:00 बजे से आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीणजनों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ आधार अपडेशन, आधार बनवाने के साथ, आयुष्मान कार्ड संबंधी सुविधाओं को आमजन मानस तक पहुंचाने हेतु पृथक से टेंट लगाकर व्यवस्था

की गई थी। साथ ही विधिक जागरूकता के संबंध में न्याय गांव की चौपाल तक विषयक कार्यक्रम रखा गया।

# सैयदना साहब के आगमन की तैयारियों का लिया जायजा, प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल पहुंचे बोरावाड़ी

आशीष वाणी

**आलीराजपुर। आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने आज आलीराजपुर नगर के बोरावाड़ी क्षेत्र का दौरा कर सैयदना साहब के प्रस्तावित आगमन को लेकर चल रही तैयारियों का गहन निरीक्षण किया। सैयदना साहब के आगमन को लेकर बोहरा समाज में खासा उत्साह देखा जा रहा है, वहीं प्रशासन भी व्यापक स्तर पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है।**

निरीक्षण के दौरान श्री पटेल ने मौके पर उपस्थित एमपीबी (MPB) एवं नगरपालिका के अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से साफ-सफाई, जल निकासी, सड़क सुधार, प्रकाश व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सैयदना साहब बोहरा समाज के धर्मगुरु हैं और उनके आगमन पर नगर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में सभी व्यवस्थाएं उच्च स्तर की, सुव्यवस्थित और समयबद्ध होना अत्यंत आवश्यक है।

प्रदेश उपाध्यक्ष श्री पटेल ने कहा कि जब किसी समाज के धर्मगुरु का आगमन होता है, तो वह केवल उस समाज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा और सकारात्मक संदेश लेकर आते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और सद्भाव का प्रतीक होता है।

उन्होंने कहा कि धर्मगुरु का आगमन

समाज को दिशा और संदेश देता है, इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि व्यवस्थाएं उत्कृष्ट हों और सभी मिलकर इस आयोजन को सफल बनाएं।

श्री पटेल ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सभी कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं, ताकि नगर की छवि सकारात्मक रूप से उभरकर सामने आए।

इस अवसर पर पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राठौर, वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद प्रतिनिधि अजहर चंदेरी, बोहरा समाज के गणमान्य नागरिक, नगरपालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) सहित कर्मचारियों की टीम मौजूद रही। सभी ने मिलकर क्षेत्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक सुधार कार्यों पर विस्तार से चर्चा की।

श्री पटेल ने कहा कि यह आयोजन केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि नगर की प्रतिष्ठा और पहचान से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से समन्वय के साथ कार्य करने की अपील की, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर और सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं के माध्यम से आलीराजपुर नगर एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है, जिससे पूरे प्रदेश में क्षेत्र की सकारात्मक छवि स्थापित होगी।

## सीतामऊ पुलिस ने शंकरलाल पाटीदार की हत्या का किया 24 घंटे में खुलासा

शाहिद अजमेरी

**मंदसौर।** दिनांक 27.03.26 को सुचनाकर्ता जीवन पिता शंकरलाल पाटीदार उम्र 26 साल निवासी साखतली रिपोर्ट किया कि मेरा खेत ग्राम साखतली व ग्राम बिलात्री के कच्चे रास्ते पर स्थित है मेरे खेत पर मकान बना हुआ है तथा खेत पर ही गाय भैसे बांधते है। मेरे पिता शंकरलाल पाटीदार दिनांक 26.03.26 के रात्री करीब 08-09.00 बजे साईकिल लेकर घर से खेत पर सोने के लिए गये हुए थे व मेरी माँ घर पर ही थी। शुक्रवार दिनांक 27/03/26 को प्रातः करीबन 6.20 बजे मेरे गाँव के कन्हैयालाल पिता सीताराम पाटीदार ने मेरे घर पर आकर मुझे बताया कि अभी सुबह करीबन 6.00 बजे मै मेरे खेत तरफ जा रहा था तभी मैने रामनिवास पाटीदार के खेत के पास बिलात्री कच्चे रास्ते पर तेरे पिता शंकरलाल पाटीदार साईकिल सहित रोड पर पडे हुये है देखा है तथा उनके गले से काफी खुन निकला हुआ दिखाई दे रहा है। सुचना मिलने पर मैं रामनिवास के खेत के पास पहुंचा तो वहा जाकर देखा कि मेरे पिता शंकरलाल साईकिल सहित रोड पर पडे हुये थे तथा उनके गले व सिर में धारदार हथियार से चोट के निशान दिखाई दे दे रहे थे व मोके पर मेरे पिता का काफी खुन बहा हुआ दिखाई दे रहा था। मेरे पिता शंकरलाल व उनके भतीजे बालेश्वर पिता अनोखीलाल पाटीदार के बीच गाँव से लगी 07 आरी

जमीन का विवाद चल रहा है फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपीयो के विरुध्द अपराध क्र 132/26 धारा 103(1) बी एन एस का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया था।

उक्त मामला सनसनी खेज होने से पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के द्वारा थाना सीतामऊ के अपराध क्रमांक 132/2026 धारा 103(1), बीएनएस में अज्ञात आरोपी का पता लगाने का निर्देश दिये थे जो इसी तारतम्य मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ श्रीमति हेमलता कुरील व एस डी ओ पी सीतामऊ दिनेश प्रजापति के निर्देशन मे थाना प्रभारी सीतामऊ निरीक्षक कमलेश प्रजापति के द्वारा टीम गठित किया जाकर प्रकरणके संदेहियो कि तलाश की गई एवं विवेचना के दोरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि घटना के एक दिन पूर्व अर्जुन पाटीदार ने मृतक शंकरलाल के लडके श्यामलाल को फोन लगाकर धमकी दी थी जो उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए संदेही बालेश्वर पिता अनोखीलाल पाटीदार उम्र 26 साल नि. साखतली व नानालाल पिता अनोखीलाल पाटीदार उम्र 24 साल निवासी साखतली से कड़ी से कडी जोडते हुए पुछताछ की गई जो आरोपियो द्वारा अपने जीजा अर्जुन पिता रामनिवास पाटीदार निवासी नाटाराम के साथ प्लान बनाकर उक्त मृतक शंकरलाल पाटीदार की हत्या की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया

प्रकरण मे आरोपी बालेश्वर पिता अनोखीलाल पाटीदार उम्र 26 साल नि. साखतली व नानालाल पिता अनोखीलाल पाटीदार उम्र 24 साल निवासी साखतली को गिरफ्तार किया जाकर घटना में उपयोग कि गई कुल्हाडी एवं मो.सा. को जप्त किया गया है।

## गौशाला हेतु गो कवल सहयोग, भामाशाहों ने पेश की सेवा की प्रेरणादायक मिसाल

जुबेर अहमद

**धरियावद।** उत्तम सेवा फाउंडेशन द्वारा संचालित उत्तम जीव दया अभियान के अंतर्गत गौशालाओं के लिए गो कवल सुखला सहयोग का सराहनीय कार्य किया गया। इस पुनीत अभियान में क्षेत्र के भामाशाहों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए गौ सेवा के प्रति अपनी गहरी आस्था और समर्पण का परिचय दिया।

इस सेवा कार्य की प्रेरणा नारायण लाल मेघवाल अध्यापक रा.उ.मा.वि भाण्डला से प्राप्त हुई। उनके मार्गदर्शन में भामाशाह मोहनलाल मेघवाल ठेकेदार शिवपुरी, भुरालाल मानागांव एवं दौलतराम गायरी होलीफला,गाडरियावास द्वारा एक-एक ट्रैक्टर-ट्रॉली गो कवल (सुखला) सामग्री भेंटकर गौशालाओं के लिए

महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त,रणिया धुनी गौशाला भीण्डर एवं पुंगा तालाब गौशाला तक सामग्री पहुंचाने हेतु 4000 रुपये की किराया राशि का सहयोग चंद्रेश जोगावत पिता स्व.बाबूलाल जोगावत द्वारा दिया गया। जो इस सेवा कार्य में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा।फाउंडेशन के मीडिया प्रवक्ता राकेश वीरवाल ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान पुलिस उप अधीक्षक नानालाल सालवी, उत्तम सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष पुष्कर जैन,पूर्व अध्यक्ष जिग्नेश चंपावत,उपाध्यक्ष विपिन जोशी,सचिन वक्तावत,दीपक आमेटा, अभिषेक भंवरा,विजय मेघवाल अध्यापक सहित फाउंडेशन के सदस्य पदाधिकारीयो व नगरवासियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर सामग्री से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को गौशालाओं के लिए रवाना किया।

गौमाता की सेवा के इस पुण्य कार्य के लिए उत्तम सेवा फाउंडेशन परिवार ने सभी भामाशाहों एवं सहयोगकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बताया है।

## शिक्षकों के हित में लोकसभा में गूंजी आवाज, TET अनिवार्यता पर पुनर्विचार की मांग

आशीष वाणी

**नई दिल्ली/अलीराजपुर। सांसद श्रीमती अनिता चौहान ने आज लोकसभा में शासकीय शिक्षकों से संबंधित TET (Teacher Eligibility Test) परीक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों पर पुनः TET परीक्षा की अनिवार्यता थोपना उनके मनोबल को कमजोर करने वाला निर्णय है।**

सांसद चौहान ने कहा कि, जिन शिक्षकों ने लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए अपना अनुभव और योगदान दिया है, उन्हें बार-बार परीक्षा के दायरे में लाना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने इस निर्णय को शिक्षकों के हितों के विपरीत बताते हुए सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के फैसलों से शिक्षकों में असंतोष बढ़ रहा है, जो शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव

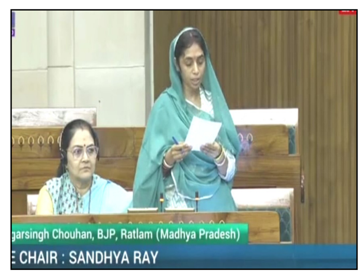


डाल सकता है। सांसद ने सरकार से आग्रह किया कि TET की अनिवार्यता को समाप्त कर शिक्षकों को राहत दी जाए, ताकि वे बिना मानसिक दबाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। उक्त जानकारी विधायक प्रतिनिधि एवं मंत्री सांसद हेल्पलाइन प्रभारी गोविंदा गुप्ता द्वारा दी गई।

## वन विभाग धरियावद की कार्यवाही, वन क्षेत्र आरामपुरा में बजरी परिवहन करते ट्रैक्टर ट्राली जब्त

जुबेर अहमद

**धरियावद।** वन क्षेत्र आरामपुरा में बजरी परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्राली को वन विभाग धरियावद टीम ने कार्रवाई करते हुए जब्त किया है। जानकारी देते हुए सहायक वनपाल पवन मेघवाल ने बताया कि सुरेश अग्रवाल उपवन संरक्षक प्रतापगढ़ व सहायक वन संरक्षक विक्रम सिंह राठौड़ के निर्देशन में वन सुरक्षा एवं खनन की रोकथाम के तहत चलाए जा रहे हैं अभियान के तहत रामलाल भील क्षेत्रीय वन अधिकारी धरियावद के नेतृत्व में रेंज अधिन नाका आरामपुरा स्टाफ गश्त के दौरान वन क्षेत्र में बजरी परिवहन करते हुए ट्रैक्टर मय ट्रॉली को जप्त किया गया।

इस दौरान वन अधिनियम 1953 के तहत प्रकरण दर्जकर ट्रैक्टर ट्रॉली को सीजकर रेंज परिसर में लाकर रखा गया। इस दौरान टीम में प्रमोद तेली वनपाल, भेरूलाल गायरी वनरक्षक,रूपलाल मीणा वनरक्षक,मोड़ सिंह वनरक्षक, विजय सिंह वनरक्षक,गोविंद गवारिया वनरक्षक,गौतम गायरी वनरक्षक के साथ पुलिस जाब्ता मौजूद रहा।

# 100 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल सवालों के घेरे में इलाज के नाम पर व्यवस्था बीमार

## जांच के लिए बाहर भेजे जा रहे मरीज, निजी लैब और मेडिकल स्टोर का फलता-फूलता कारोबार, गरीब परिवारों पर बढ़ता आर्थिक बोझ

हेमन्त वर्मा

**राजनांदगांव।** छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्थित 100 बिस्तर वाला मातृ शिशु अस्पताल अब गंभीर आरोपों के घेरे में है। इलाज के लिए दूर-दूर से आने वाले मरीजों को अस्पताल में समुचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जिसके चलते उन्हें जांच और दवाइयों के लिए बाहर निजी संस्थानों पर निर्भर होना पड़ रहा है। इससे न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं बल्कि आम जनता की जेब पर भी भारी असर पड़ रहा है। भाजपा नेता जमाल खान ने राजनांदगांव के 100 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को आवश्यक जांच सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं जिसके कारण उन्हें बाहर निजी पैथोलॉजी लैब और मेडिकल स्टोर्स की ओर भेजा जाता है। अस्पताल के बाहर का नजारा इस स्थिति को साफ बयां करता है। परिसर के आसपास कतारबद्ध तरीके से कई निजी पैथोलॉजी लैब और मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे हैं जहां ब्लड टेस्ट, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड जैसी तमाम जांच सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाती हैं। हालांकि, इसके लिए मरीजों को मोटी रकम चुकानी पड़ती है। आरोप है कि यह पूरी व्यवस्था एक संगठित धंधे का रूप ले चुकी है जहां मरीजों को अनावश्यक जांच कराने और दुष्ट का डर दिखाकर पैसे वसूले जा रहे हैं। जिस काम को पहले अपराधी जबरन करते थे अब वही काम कथित तौर पर स्वास्थ्य संस्थानों के जरिए किया जा रहा है। इस स्थिति का सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है। इलाज के खर्च को पूरा करने के लिए लोग अपनी जमीन-जायदाद बेचने या कर्ज लेने को मजबूर हो रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का यह व्यावसायीकरण अब सामाजिक और आर्थिक संकट का रूप लेता जा रहा है। मरीज जहां अस्पताल में बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर आते हैंवहीं कई बार वे खुद को एक आर्थिक शोषण के चक्र में फंसा हुआ पाते हैं। सरकारी अस्पतालों पर से जनता का भरोसा कम होता जा रहा है जबकि निजी अस्पतालों पर लूट के आरोप लग रहे हैं। यदि अस्पताल जो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए बनाए गए हैं खुद ही अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का केंद्र बन जाएं तो यह पूरे सिस्टम के बीमार होने का संकेत है। राजनांदगांव की यह स्थिति केवल एक जिले की नहीं बल्कि व्यापक स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर समस्या को उजागर करती है। अब जरूरत है ठोस सुधारों और जवाबदेही तय करने की ताकि आम जनता को सस्ती और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

# पट्टाभिषेक के साथ राजसिंहासन पर बैठे राजाधिराज श्री राम प्रभु

(रविन्द्र गुप्ता)

**वाराणसी। वेद मंत्रों की गूंज के बीच वैदिक विद्वानों में देश की सभी पवित्र नदियों व सागर के जल से अभिषिक्त कर श्री राम प्रभु को अयोध्या के राजसिंहासन पर आरूढ़ कराया।**

इसके साथ ही मानसरोवर तीर्थ क्षेत्र की गलियां राजाधिराज श्री राम की जयकारों से गूंज उठी। अवसर था काशी केदार खंड के श्री राम तारक आंध्र आश्रम में चल रहे श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेक महोत्सव के मुख्य अनुष्ठान का महोत्सव में रविवार को माता सीता का कुंकमार्चन किया जायेगा। इसके समानांग श्री राम प्रभु के लक्ष तुलसीदल अर्चन का अनुष्ठान भी पूरा किया जाएगा।

मानसरोवर तीर्थ स्थित श्री राम तारक आंध्र आश्रम में बीते दस दोनों से मनाए जा रहे उत्सव के दसवें दिन प्रातः काल से ही उत्सव मंडप वेद घोष की स्वर लहरियों से गूंज उठा। महोत्सव के मुख्य आचार्य उलिमिरी सोमायजुलू के निर्देशन में सबसे पहले देश की पुण्य सलिला नदियों व सागर के जल से श्री राम प्रभु का मस्तकाभिषेक किया। इसके पश्चात राज्याभिषेक की सारी रीतियां पूरी कर राजसी वस्त्रों में सजे-धजे श्री राम व जानकी को सिंहासनारूढ़ कराया।

आचार्य सोमायजुलू के अनुसार इस द्वादश दिवसीय अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य देश में सुखशांति की कामना करना हैं। राष्ट्र हर तरह के वैभव व ऐश्वर्य को प्राप्त करता हैं। उन्होंने जानकारी दी कि चार वर्षों के निरंतर क्रम के पश्चात पांचवे साल महापट्टाभिषेक का अनमोल अवसर प्राप्त होता है। आंध्र आश्रम के विशाल प्रांगण अगले वर्ष महापट्टाभिषेक महोत्सव का

विस्तृत आयोजन प्रस्तावित है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए वाल्मीकि रामायण के 100 से भी ज्यादा मर्मज्ञ रामायण के निरंतर पारायण के बीच यह महाआयोजन सम्पन्न कराएंगे।

इसके पूर्व महोत्सव के मुख्य यजमान तथा आंध्र आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी वीवी सुंदर शास्त्री ने अभिषेक पूजन- वंदन आहुति आदि सारे अनुष्ठान पूरे किए। बताया कि उत्सव मंडप में आज की संध्या आयोजित एक रंगारंग कार्यक्रम में उत्सव को सम्पन्न कराने वाले सभी आचार्यों व रामायण विदो का सम्मान किया जाएगा। अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकर पुरी जी महाराज सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि होंगे।

इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सी वी बी सुब्रह्मण्यम, चेनुलु, विरूपाक्ष मूर्ति, शेखर द्रविड़, अनंत गुरुजी, शिव शर्मा, वेमुरी उमा, धारणिया, रुक्मिणी, सुजाता, आदि लोग उपस्थित रहे।

# बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का निरीक्षण, ओवरब्रिज निर्माण को लेकर मिला आश्वासन

हेमन्त वर्मा

**बाराबंकी।** भारतीय रेलवे बोर्ड के ZRUCC सदस्य एवं रेलवे सलाहकार आलोक द्विवेदी द्वारा बाराबंकी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं का व्यापक जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता, पेयजल, प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, प्लेटफॉर्म व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान श्री द्विवेदी ने यात्रियों से संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यात्रियों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने रेलवे क्रॉसिंग का भी निरीक्षण किया, जहां यातायात व्यवस्था और सुरक्षा पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया। इस अवसर पर कई सामाजिक एवं स्थानीय संगठनों द्वारा रेलवे बांकी क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। संगठनों का कहना है कि ओवरब्रिज बनने से लाखों लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी और जाम व दुर्घटनाओं की समस्या से राहत मिलेगी।

आलोक द्विवेदी ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे को शीघ्र ही माननीय रेल मंत्री तक पहुंचाएंगे और ओवरब्रिज निर्माण कार्य को शुरू कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

इस मौके पर अंशुमन यादव, विपिन, कुलदीप सहित कई गणमान्य लोग एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि जल्द ही बाराबंकी रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार होगा।

# अवैध मादक पदार्थ के आरोपियों के कब्जे से 27 ग्राम ब्राउन शुगर (अंतरराष्ट्रीय कीमत लगभग 2,70,000) एवं एक मोटर साइकिल जप्त

राजेश पिल्लै

**इंदौर।** शहर में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस थाना राऊ को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए कुख्यात तस्कर अंकित उर्फ बाबा सहित तीन आरोपियों को ब्राऊन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया है। शहर में अवैध मादक पदार्थों की गतिविधियों के विरुद्ध पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष सिंह द्वारा प्रभावी कार्यवाही के दिए निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस उपायुक्त जोन-1 कृष्ण लालचंदानी के मार्गदर्शन में थाना राऊ पुलिस द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों पर निगरानी रखी जा रही थी। इसी कड़ी में दिनांक 26/03/2026 की रात्रि में क्षेत्र भ्रमण एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान रंगवासा फाटा, गुरुकुल मैदान के पास सुनसान इलाके में एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को घेराबंदी कर रोका गया। तलाशी लेने पर आरोपियों के कब्जे से 27 ग्राम ब्राउन शुगर मिलीं जिसे विधिवत जप्त किया गया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी शहर में मादक पदार्थ की सप्लाई कर युवाओं को नशे की लत लगाने तथा अपना नेटवर्क विस्तार करने में सक्रिय थे। आरोपियों के विरुद्ध थाना राऊ, इंदौर में धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण

पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है, जिसमें विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। साथ ही अवैध मादक पदार्थ के स्रोत एवं अन्य साथियों के संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी है।

# अंधविश्वास पर कानून का प्रहार-मासूम के अपहरण और तांत्रिक क्रिया मामले में आरोपी महिला को 3 साल की जेल

**नीमच। जिले के जीरन क्षेत्र में करीब तीन साल पहले घटित हुए सनसनीखेज अपहरण और तांत्रिक क्रिया के मामले में न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रश्मि मिश्रा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी महिला को दोषी करार दिया और उसे 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।**

न्यायालय ने जेल की सजा के साथ-साथ आरोपी पर 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला वर्ष 2023 से पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था, जिसमें एक मासूम बच्चे की जान जोखिम में डालने और अंधविश्वास के चलते उसे अगवा करने के गंभीर आरोप लगे थे।

घटनाक्रम की शुरुआत 13 मार्च 2023 की शाम को हुई थी, जब जीरन के पाटीदार मोहल्ले में रहने वाला एक 4 वर्षीय बालक अपने घर के बाहर खेलते समय अचानक लापता हो गया था।

काफी खोजबीन के बाद जब परिजनों को बालक का पता नहीं चला, तो मोहल्ले में हड़कंप मच गया। तलाश के

दौरान शक के आधार पर जब पड़ोस में रहने वाली एक महिला के घर की जांच की गई, तो मासूम वहां एक बंद कमरे में मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उस समय कमरे के भीतर महिला कुछ संदिग्ध तांत्रिक गतिविधियों को अंजाम दे रही थी।

इस दृश्य को देख परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार किया और मामले की गहन जांच शुरू की।

अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष पुख्ता साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिससे यह सिद्ध हुआ कि महिला ने गलत नियत से बालक का अपहरण किया था।

न्यायाधीश रश्मि मिश्रा ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि समाज में इस तरह की कुरीतियों और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के लिए कोई स्थान नहीं है।

इस फैसले के बाद क्षेत्र के लोगों ने संतोष व्यक्त किया है, क्योंकि यह मामला न केवल एक बच्चे की सुरक्षा से जुड़ा था, बल्कि समाज में फैले अंधविश्वास के खिलाफ कानून की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।

# नामली की अगरबत्ती कारखाने में एक नाबालिग सहित दो चचेरी बहनों के साथ बलात्कार, तीन युवकों पर सामूहिक दरिंदगी का आरोप

**उपेन्द्र पाटोदिया**

**रतलाम। जिले के ग्राम नामली में शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ एक नाबालिग सहित दो चचेरी बहनों को बहला-फुसलाकर एक फैक्ट्री में ले गए, जहाँ उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।**

नामली थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, घटना 25 मार्च की रात की है। पीड़ित छात्रा 15 वर्ष अपनी चचेरी बहन 18 वर्ष के साथ एक रिश्तेदार के यहाँ आयोजित एक कार्यक्रम में गई थी। रात करीब 9.30 बजे, जब दोनों बहनें घर के बाहर बैठी थीं, तभी आरोपी राजवीर पिता बंशीलाल कुमावत मोटरसाइकिल लेकर पहुँचा।

उसने दोनों बहनों को 10 मिनट बात करने के बहाने मोटरसाइकिल पर बैठने को कहा। मना करने के बावजूद, वह उन्हें बहला-फुसलाकर नामली स्थित देव सो नावा अगरबत्ती फैक्ट्री ले गया।

**फैक्ट्री के अंदर और फिर घर ले जाकर किया बलात्कार**

पीड़िता ने बताया कि फैक्ट्री में सुमित पिता रामसिंह जाट और पवन पिता मांगीलाल जाट पहले से मौजूद थे। राजवीर दोनों बहनों को फैक्ट्री के अंदर छोड़कर बाहर से दरवाजा बंद कर चला गया। आरोप है कि सुमित जाट ने पीड़िता के साथ और पवन जाट ने उसकी चचेरी बहन के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इतना ही नहीं, बाद में आरोपी पवन जाट दोनों को अपने घर ले गया, जहाँ सुमित और पवन ने पुनः उनके साथ गलत काम किया।

**परिजनों को दी जानकारी, मामला दर्ज**

घटना के बाद डरी-सहमी दोनों बहनें अगले दिन अपने मामा के घर पहुँचीं। घबराहट के कारण उन्होंने शुरुआत में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन हिम्मत जुटाकर शनिवार को अपने परिजनों को आपबीती सुनाई। इसके बाद परिजन उन्हें लेकर थाने पहुँचे और रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने पीड़ितों के बयान और लिखित शिकायत के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध बलात्कार (376), पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) और जान से मारने की धमकी देने जैसी विभिन्न संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है।

# शराब का कारोबार मौलिक अधिकार नहीं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डिस्टिलरी के लाइसेंस सस्पेंड करने का फैसले सही ठहराया

**भोपाल।** मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोम डिस्टिलरीज के कई लाइसेंस सस्पेंड करने के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि शराब का कारोबार कोई मौलिक अधिकार नहीं है और यह सख्त कानूनी नियमों के अधीन है।

**जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने कहा-**

पहली बात तो यह कि शराब का कारोबार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरी बात यह कि जब आनुपातिकता (Proportionality) की कसौटी पर इसे परखा जाता है तो उस आधार पर भी अथॉरिटी का फैसला एक्साइज एक्ट और उसके तहत बनाए गए नियमों के दायरे में है, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं निकाली जा सकती। याचिकाकर्ताओं ने 4 फरवरी, 2026 को एक्साइज कमिश्नर द्वारा जारी उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें दो संस्थाओं-सोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड और सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रूअरीज प्राइवेट लिमिटेड-को दिए गए आठ लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए।

यह कार्रवाई फरवरी 2024 में जारी एक कारण बताओ नोटिस (Show-Cause Notice) के आधार पर की गई। यह नोटिस, जाली परमिट का इस्तेमाल करके अवैध रूप से शराब की ढुलाई करने के मामले में हुई आपराधिक सज़ाओं के चलते जारी किया गया। जिन लाइसेंसों की बात हो रही है, उनकी मूल समय सीमा 31 मार्च, 2024 को खत्म हो गई, लेकिन बाद में उन्हें अगले सालों के लिए रिन्यू कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि कारण बताओ नोटिस मूल लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद लागू नहीं रह सकता और इसे रिन्यू किए गए लाइसेंसों पर लागू नहीं किया जा सकता।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि पुराने लाइसेंसों की अवधि खत्म होते ही कारण बताओ नोटिस बेअसर हो गया। इसे अगले सालों के लिए रिन्यू किए गए लाइसेंसों पर लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे यह भी कहा कि चूंकि आपराधिक मामलों में अपील दायर की जा चुकी है और सज़ाओं पर रोक लगा दी गई, इसलिए कारण बताओ नोटिस का मूल आधार ही खत्म हो गया।

वकील ने आगे तर्क दिया कि इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। इसमें सुनवाई का उचित मौका न मिलना और दो अलग-अलग संस्थाओं के खिलाफ एक ही (संयुक्त) कारण बताओ नोटिस जारी करना शामिल है।

इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि कर्मचारियों को मिली सज़ाओं के लिए कंपनियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यह कि संबंधित कानूनी प्रावधानों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। राज्य सरकार के वकील ने तर्क दिया कि लाइसेंसों का सालाना रिन्यूअल इस शर्त पर होता है कि कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाएगा। इसलिए पहले किए गए उल्लंघनों के कानूनी परिणाम अभी भी लागू रहेंगे। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि आपराधिक सजा पर कोई रोक (Stay) नहीं लगी है। सिर्फ सजा को सस्पेंड कर देने से यह साबित नहीं हो जाता कि वे दोषी नहीं हैं। अदालत ने याचिकाकर्ता के तर्कों को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि लाइसेंस नए सिरे से दिए गए अनुदान नहीं थे, बल्कि अधिनियम और नियमों के पालन की शर्त पर उनका नवीनीकरण किया गया। इसलिए नवीनीकरण होने पर पिछली अनियमितताओं का महत्व समाप्त नहीं हो गया। इसके अलावा, अदालत ने स्पष्ट किया कि सजा का निलंबन दोषसिद्धि (Conviction) पर रोक के बराबर नहीं होता; अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि दोषसिद्धि पर ही रोक लगा दी गई।

नैसर्गिक न्याय के मुद्दे पर अदालत ने पाया कि धारा 31(v-A) के तहत वैधानिक आवश्यकताओं का विधिवत पालन किया गया, क्योंकि कारण बताओ नोटिस में कारणों का उल्लेख था, आवश्यक विवरण दिए गए और जवाब देने का अवसर भी प्रदान किया गया। अदालत ने आगे यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अपने जवाबों में जाली परमिट का उपयोग करके शराब की ढुलाई करने के मुख्य आरोप से इनकार करने में विफल रहे, जो उनके खिलाफ गया।

**अदालत ने फैसला सुनाया**

यहां तक कि लाइसेंस के खंड V में भी शर्तों के उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है। इसलिए इस कसौटी पर भी आबकारी आयुक्त के कार्य में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता अदालत ने आगे यह भी कहा कि आबकारी अधिनियम की धारा 31(1)(c) और 44 के तहत कर्मचारियों, एजेंटों और लाइसेंस धारक की ओर से कार्य करने वाले व्यक्तियों के कार्यों के लिए लाइसेंस धारक को ही जिम्मेदार माना जाता है। इस प्रकार, ड्राइवर, क्लीनर और अन्य संबंधित व्यक्तियों की दोषसिद्धि ही वैधानिक परिणामों को लागू करने के लिए पर्याप्त थी।

**पीठ ने कहा,**

इस प्रकार, कोई भी व्यक्ति जो उसकी (लाइसेंस धारक की) ओर से उसकी स्पष्ट या निहित अनुमति से कार्य कर रहा हो-इस वाक्यांश में उस ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर भी शामिल होगा, जिसमें सामग्री की ढुलाई की गई। इसलिए मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत उनकी दोषसिद्धि, आबकारी अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (1) के खंड (c) की भाषा के अनुसार, लाइसेंस धारक पर भी बाध्यकारी होगी। आनुपातिकता के सिद्धांत (Doctrine of Proportionality) को लागू करते हुए अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उल्लंघन की गंभीरता को देखते हुए-जिसमें जाली परमिट का उपयोग और आबकारी राजस्व की हानि शामिल थी-राज्य द्वारा की गई कार्रवाई उचित और न्यायसंगत थी।

**पीठ ने टिप्पणी की,**

इसलिए विदेशी शराब की ढुलाई के लिए जाली परमिट का उपयोग करके की गई धोखाधड़ी के संदर्भ में प्रतिवादियों के विवादित कार्यों को जब आनुपातिकता के सिद्धांत की कसौटी पर परखा जाता है, तो उनमें कोई दोष नहीं निकाला जा सकता। इस प्रकार, अदालत ने रिट याचिका खारिज की।

# आदि शक्ति माँ भद्र काली का हुआ प्रत्यक्ष शक्ति पूजन एवं अखंड भंडारे का आयोजन

**(रविन्द्र गुप्ता)**

**वाराणसी।** आज हरिश्चंद घाट पर सामाजिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संस्था अघोर पीठ हरिश्चंद्र घाट काशी द्वारा काशी की परंपरागत चैत्र नवरात्र के दशमी के पावन पर्व पर हरिश्चंद्र घाट पर आयोजित माँ भद्र काली की प्रत्यक्ष शक्ति पूजन, 1100 कन्याओं व महिलाओं का मातृ पूजन एवं अखंड भंडारे का आयोजन किया गया। उसके बाद प्रख्यात भजन कलाकारों ने अपनी भक्तिमय भजनों से उपस्थित लोगों को आनंदित किया। वर्षारंभ के अवसर पर दस महाविद्याओं का दस दिवसीय अनुष्ठान विश्व में आई हुई विभीषिका की शांति के लिए एवं युद्ध की देवी आदि शक्ति उग्र माँ काली के मृणमयी प्रतिमा की स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके बाद महिलाओं

द्वारा माँ त्रिपुर भैरवी का सहस्त्रार्चन किया गया। इस अवसर पर अघोर पीठ के पीठाधीश्वर अवधूत उग्र चंडेश्वर कपाली बाबा एवं 11 वैदिक विद्वानों द्वारा पूरे विधि विधान पूर्वक संपन्न किया गया। इसके बाद अघोर परम्परा अनुसार लगभग 1100 कन्याओं व महिलाओं का पूजन कर उन्हें श्रृंगार सामग्रियों से सम्मानित किया गया। जो काशी की धार्मिक परंपराओं में एक विशेष स्थान रखती है।कपाली बाबा ने कहा कि यह एक पवित्र आयोजन है। अघोर पीठ द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक वर्ष आर्थिक रूप से कमजोर 6 बच्चों का निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराई जाएगी। अंत में कपाली बाबा ने सभी भक्तगणों को सुचारू व्यवस्था व दायित्व निर्वहन के लिए सभी का आभार प्रकट किया तथा श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद प्रदान किया।

# रेप पीड़िता की पहचान छिपाने के नियम का सख्ती से हो पालन, सुप्रीम कोर्ट का कड़ा निर्देश

**नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के रिकॉर्ड में रेप पीड़िताओं की पहचान उजागर करने पर गंभीर चिंता जताई है। सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि इस पर लगी रोक का सख्ती से पालन करें।**

किशोरी से रेप के एक मामले में दोषी को बरी करने के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह निर्देश जारी किया।

**किस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात**

इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने यह कहते हुए उसे बरी कर दिया था कि पीड़िता का दो घंटे में 16 किमी यात्रा करना असंभव लगता है।

**अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज नहीं किया जा सकता**

इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ ने फैसले को रद्द करते हुए कहा कि भले ही समय-सीमा पर संदेह हो, घटना पर असर नहीं पड़ता। गवाहों के बयानों में छोटी-मोटी विसंगतियां होने के आधार पर पूरे अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज नहीं किया जा सकता।

**रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने पर 2 साल की जेल**

बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करना दंडनीय अपराध है। अपराधी को 228-ए के तहत दो साल तक की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी, 376जी के तहत पीड़िता का नाम पब्लिश करने पर दो साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। कानून के तहत बलात्कार पीड़िता के निवास, परिजनों, दोस्तों, यूनिवर्सिटी या उससे जुड़े अन्य विवरण को भी उजागर नहीं किया जा सकता। पीड़िता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 (3) के तहत कोर्ट में X या Y जैसे नामों का उपयोग कर सकती है। यदि पीड़िता मानसिक रूप से अस्वस्थ है या उसकी मृत्यु हो गई है, तो पीड़िता के निकटतम संबंधी को आईपीसी की धारा 288ए के तहत पीड़िता की पहचान उजागर करने के विरुद्ध निकटतम न्यायालय में आवेदन करने का कानूनी अधिकार है। नाबालिग के मामले में, पहचान उजागर करने के लिए विशेष न्यायालय से अनुमति आवश्यक है।

यहां नाबालिग का हित सर्वोपरि है। बलात्कार पीड़ित की पहचान को सुरक्षित रखने का उद्देश्य उन्हें अतिरिक्त आघात से बचाना और ऐसे अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए अधिक सहायक वातावरण को बढ़ावा देना है।

# महिला बाल विकास मंत्री पहुंची खंडवा कहा कुपोषण का मतलब अमीरी गरीबी से नहीं है

अनवर मंसूरी

**खंडवा। कुपोषण से मध्यप्रदेश ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है। कुपोषण का मतलब अमीरी गरीबी नहीं खान-पान है। कई बार अच्छे घरों के बच्चों में भी कुपोषण मिलता है। गैस सिलेंडर को लेकर कहां, ऐसा नहीं है जैसा प्रचार प्रसार किया जा रहा है।**

खंडवा पहुंची प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर कहा कि, ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह का माहौल सोशल मीडिया पर बनाया जा रहा है।

हमारी सरकार, प्रधानमंत्री सब मैनेज कर रहे है, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है जितना प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इतना क्राइसिस नहीं है जितना बताया जा रहा है।

मंत्री निर्मला भूरिया ने कुपोषण को लेकर कहा कि, कुपोषण से मध्यप्रदेश ही नहीं भारत ही नहीं पूरा विश्व इससे प्रभावित है। कुपोषण का मतलब अमीरी गरीबी से नहीं है, खाना द्दपान में पौष्टिकता होनी चाहिए जो मिलना चाहिए उनको हमे लेना चाहिए इस पर सरकार का फोकस है। देश

के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी इस ओर फोकस कर रहे है।

कहीं जिलों में हम नवाचार भी कर रहे है ताकि प्रदेश से कुपोषण खत्म हो सके। कुपोषण ऐसा नहीं है कि गरीब बच्चों में है अच्छे घरों में भी हमे कुपोषण का असर मिलता है, इस लिए जागरुक कर बच्चों को केवल पौष्टिक आहार दीजिए।

# पीडीत के साथ मारपीट कर लुट की घटना कारित करने वाले आरोपी को नीमच सिटी पुलिस ने किया गिरफ्तार

**नीमच।** पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अपराधियो की धरपकड अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी नीमच सिटी निरी. पुष्पा सिंह चौहान के नेतृत्व मे पुलिस टीम द्वारा दिनांक दिनांक 25.03.2026 को मालखेड़ा रोड़ पर लोधा मोहल्ला बघाना निवासी पीड़ित के उपर चाकु व पत्थर से हमला कर रूपयें 3,18,000 की लुट की घटना कारित कर फरार होने वाले आरोपी राधेश्याम भील को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूटे गये रूपयें एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसायकिल जप्त करने में सफलता प्राप्त की गई है। थाना नीमच सिटी पर दिनांक 25.03.2026 को फरियादी महेश चन्द्र सिंहल उम्र 67 साल निवासी कान्वेंट स्कूल के गेट न. 03 के सामने नीमच द्वारा रिपोर्ट की गयी की मै कपडा व्यापारी हु, मेरी दुकान पर अकरम पिता अब्दुल अकीम तेली मुसलमान उम्र 28 साल निवासी लोधा मोहल्ला पठारी बघाना कई वर्षो से काम करता है तथा कपडा व्यापारीयो से उधारी के रुपयो का कलेक्शन करता है। जो दिनांक

25.03.26 को अकरम अपने दोस्त राधेश्याम भील निवासी ग्राम डुंगरपुर पुलिस थाना रतनगढ (जो पुर्व मे फरियादी की दुकान पर ही काम करता था) के साथ उसकी मोटरसायकिल से सरवानिया से नीमच आ रहा था तभी अकरम के दोस्त राधेश्याम भील ने पेशाब करने के बहाने प्रिकास्ट दीवाल के पास, भेरू घाटी मालखेडा रोड नीमच तरफ लेकर गया व चाकु से पीडीत अकरम के उपर चाकु व पत्थर से हमला कर दिया व रुपयो से भरा बैग लेकर फरार हो गया। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना नीमच सिटी पर अपराध धारा 309(6) बी.एन.एस. का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। मुखबिर सुचना पर कार्यवाही कर आरोपी राधेश्याम उर्फ श्यामु पिता जमनालाल भील उम्र 22 साल निवासी ग्राम डुंगरपुर पुलिस थाना रतनगढ जिला नीमच को दिनांक 27.03.26 को विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी के कब्जे से कुल लुटी गई राशी 03 लाख 18 हजार रुपये व घटना मे प्रयुक्त बिना नंबर की मोटर सायकिल हिरो होण्डा कम्पनी की जप्त की।

**गिरफ्तार आरोपी**-राधेश्याम उर्फ श्यामु पिता जमनालाल भील उम्र 22 साल नि. डुंगरपुर थाना रतनगढ।

**जप्त मश्रुका**-कुल 03 लाख 18 हजार रुपयें व घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की हीरो होण्डा कम्पनी की काले रंग की मोटर सायकल कीमति 40,000 रुपये।

**सराहनीय कार्य**-उक्त कार्य में निरीक्षक पुष्पा सिंह चौहान थाना प्रभारी थाना नीमच सिटी, प्रभारी सायबर सेल प्रदीप शिन्दें सहित पुलिस थाना नीमच सिटी एवं सायबर सेल टीम का सराहनीय योगदान रहा।

# कुंवरपुर खैजरा में हुआ वृहद विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

जमना प्रसाद चौबे

**दमोह। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह द्वारा शनिवार को ग्राम कुंवरपुर खैजरा में प्रधान जिला न्यायाधीश सुभाष सोलंकी की अध्यक्षता में व्यापक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।**

विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रातः 10:00 बजे से आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीणजनों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ आधार अपडेशन, आधार बनवाने के साथ, आयुष्मान कार्ड संबंधी सुविधाओं को आमजन मानस तक पहुंचाने हेतु पृथक से टेंट लगाकर व्यवस्था की गई थी, साथ ही विधिक जागरूकता के संबंध में न्याय गांव की चौपाल तक विषयक कार्यक्रम रखा गया। जिसमें जरूरतमंदों को कानूनी सहायता मुहैया कराने की प्रक्रिया एवं विधिक सहायता कैसे प्राप्त करें, साथ ही पीड़ित प्रतिकर योजना के विषय में जागरूकता कार्यक्रम रखा गया।

कार्यक्रम की जानकारी देते हुये विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया द्वारा बताया गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण लगातार न्याय सबके लिये थीम पर कार्य करते हुये न्याय गांव की चौपाल तक पहुंचाने का कार्य करती आयी है इस क्रम में आज वृहद विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान जिला न्यायाधीष सुभाष सोलंकी द्वारा की गयी एवं मंच पर बतौर अतिथि सरपंच प्रतिनिधि विकास गुप्ता, डॉ सचिन यादव, चाइल्ड हेल्प लाईन से गोविंद यादव एवं चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल मनीष नगाइच रहे।

कार्यक्रम में बतौर वक्ता रमेश श्रीवास्तव, डिप्टी मदन जैन एवं लीगल एड डिफेंस कार्यालय से ऋचा त्रिपाठी ने कानूनी सहायता एवं पीड़ित प्रतिकर विषय पर विस्तृत जानकारी देते हुए महिला सशक्तिकरण की ओर उद्बोधन दिया, वही प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा सामान्यजन तक कानून की पहुंच को सुविधाजनक बनाने की दिशा के साथ ग्रामीण स्तर पर आयोजित ऐसे सफल कार्यक्रम की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुये ग्रामीणजनों से संवाद किया एवं ग्रामीण स्तर पर आने वाली कानूनी एवं अन्य समस्याओं के विषय में जानकारी एकत्रित की, इस अवसर पर करीब 300 से अधिक ग्रामीणजनों की कार्यक्रम में उपस्थिति रही।

कार्यक्रम के अंत में समस्त उपस्थित अतिथि एवं ग्रामीणजनों को स्वलपाहार वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया।

कार्यक्रम का सफल संचालन विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया द्वारा किया गया एवं कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल मनीष नगाइच द्वारा किया गया।

प्रकाशक, मुद्रक धवन माहेश्वरी, मालिक गजेन्द्र माहेश्वरी द्वारा उदयरत्न ऑफसेट, 10/2, दारू गोडाउन के आगे, आगर रोड़, उज्जैन (मध्यप्रदेश) से मुद्रित, 190, विधापति नगर, नानाखेड़ा, उज्जैन (मध्यप्रदेश) से प्रकाशित
संपादक:शानू माहेश्वरी, ( 9754776006, 7974826006, 8643056464,9575154444) समाचार पत्र में प्रकाशित प्रत्येक समाचार के लिए प्रधान संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। सभी प्रकार के विवादों के निपटारे हेतु न्यायालय क्षेत्र उज्जैन ही रहेगा । समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिमेदार। कानूनी सलाहकार तनुज दीक्षित (अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट)।